न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या: **53/2025(111/2021)**

दायर दिनाँक **04.03.2025 (26.07.2021)**

प्रार्थीया

1. अब्दुल हकील पुत्र स्व. नजीर खां जाति व्यापारी/कसाई मुसलमान निवासी सिपाहियों की ढाणी, खुनखुना हाल निवासी व्यापारियों का मोहल्ला डीडवाना तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन

बनाम्

अप्रार्थीगण

1. कमाल खां पुत्र स्व. पन्ने खां
2. मुंशीखां पुत्र पन्ने खां
3. मो. सलीम पुत्र बगतु खां
4. बगतु खां पुत्र जवाहर खां
5. बिदाम पत्नी भंवरू खां
6. फरीद खां पुत्र पीर खां
7. रसीदा पत्नी भंवरू खां
8. बाबु खां पुत्र मांगू खां
9. फरीद खां पुत्र रहीम खां
10. अलीम खां पुत्र अलादीन खां
11. मुनीर खां पुत्र नजीर खां
12. हाफिजा बानों पत्नी मो. सलीम समस्त जाति देशवाली मुसलमान निवासीगण सिपाहियों की ढाणी खुनखुना तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन
13. रसुल खां पु जोमरदी खां जाति देशवाली निवासी गोरिया की ढाणी जायल जिला नागौर राज.।
14. मांगू खां पुत्र कासम खां (फौत)
    1. फारूख खां
    2. बाबु खां
    3. इस्लाम खां पुत्रगण मांगूखां
    4. नसीबन पुत्री स्व. मांगू खां
    5. बतुल बेगम पत्नी मांगू खां समस्त जाति देशवाली मुसलमान निवासी सिपाहियों की ढाणी खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.।
15. मो. रफीक पुत्र जीवण खां जाति देशवाली मुसलमान निवासी सिपाहियों की ढाणी खुनखुना तहसील डीडवाना
16. तहसीलदार डीडवाना।
17. उस्मान [illegible] पुत्र उम्मेद खां जाति देशवाली निवासी खुनखुना हाल मुकाम [illegible] नं. 1 एफ. लक्ष्मण नगर, रमजान की हल्का जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.21 11:48:32 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

प्रार्थना–पत्र बाबत्
अस्थायी व्यादेश हेतु
अन्तर्गत धारा– 212 R.T.Act.

उपस्थित:–

1. श्री रघुवीरसिंह शेखावत वकील प्रार्थी।
2. श्री मो. अली शेरानी वकील अप्रार्थी सं. 1, 2, 3, 5 ता 9, 12 की ओर से

–:: **निर्णय** ::–

दिनाँक 30.03.2026

प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद खुनखुना के कांकड में स्थित पैतृक खेत खसरा नम्बर 464 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 465 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 500 रकबा 2.62 हैक्टर, खसरा नम्बर 501 रकबा 1.69 हेक्टर, कुल रकबा 4.74 हैक्टर की खातेदारी प्रतिवादी कमाल खां के नाम तथा खसरा नम्बर 955/464 रकबा 0.08 हैक्टर पर अप्रार्थीया हाफिजा बानो, खसरा नम्बर 974/464 रकबा 0.08 हैक्टर अप्रार्थी रसुल खां, खसरा नम्बर 974/464 रकबा 0.08 हैक्टर अप्रार्थीया बिदाम, खेत खसरा नम्बर 492 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 502 रकबा 0.63 हैक्टर, खसरा नम्बर 527 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 528 रकबा 1.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 529 रकबा 2.60 हैक्टर, कुल रकबा 4.67 हैक्टर की खातेदारी वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी मुंशी खां के नाम दर्ज है।

उपर वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में से 05 बिस्वा भूमि अप्रार्थी सलीम खां, 01 बीघा 01 बिस्वा अप्रार्थी बगतु खां, 10 बिस्वा भूमि अप्रार्थी बिदाम, 10 बिस्वा भूमि अप्रार्थी फरीद खां, 5 बिस्वा भूमि अप्रार्थी बाबु खां, 5 बिस्वा भूमि अप्रार्थी फरीद खां, 29 बीघा 01 बिस्वा भूमि का हकतर्क नामा अप्रार्थी मुंशी खां को किया गया हैं (जिसके खसरा नम्बर 464, 465, 500, 501 है), 10 बिस्वा भूमि अप्रार्थी अलीम खां, 10 बिस्वा भूमि अप्रार्थी मुनीर खां को बैचाण की हुई हैं। जिनके नये खसरा नम्बर क्रमशः 245, 246, 272, 273 जिसके नये खसरा नम्बर 245 की भूमि बैचाण करने पर 826/245, 845/245, 264, 641/264, 265, 290, 291, 695/264, 762/273,760/265, 766/265 की भूमि बैचाण के जरिये अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

पैतृक सम्पति के पुराने खेत खसरा नम्बर 265, 263, 290 रकबा क्रमशः 01 बीघा 15 बिस्वा, 14 बीघा 06 बिस्वा, 08 बीघा 04 बिस्वा कुल रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 202 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 274 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 278 रकबा 31 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 286 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा, खरसा नम्बर 289 रकबा 19 बिस्वा, कुल रकबा 50 बीघा 13 बिस्वा (कुल खेत 5+3 = 8 कुल रकबा 75 बीघा 03 बिस्वा) की खातेदारी सम्वत् 2006 में इब्राहिम पुत्र फौजु के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज रही थी।

उपर वर्णित पुराने खसरा नम्बर 246, 265, 273, 290, 274/532, 278/533, 289 एवं 289 कुल रकबा 49 बीघा 17 बिस्वा [illegible] सम्वत् 2010 से 2013, सम्वर्त 2014 से 2017, सम्वत् 2018 से 2021, सम्वत् 2[illegible] से 2025, सम्वत् 2025 से 2029 एवं सम्वत् 2033 से 20[illegible] तक उक्त खेतो की [illegible] नजीर खां, इब्राहीम खां का 1/2 एवम् कमाल खां पुत्र [illegible] राजस्व रेकर्ड में दर्ज रही हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.21 11:48:32 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

एआरओ डीडवाना मीन नम्बर 3501 / 166 दिनांक 16-09-1916 के आज्ञा
अनुसार खाता हाजा में नजीर खां वगैरा का नाम दर्ज कर पितम्बा नम्बर 17 पर दर्ज
किया व खाता खारिज किया गया। यह खाता एआरओ डीडवाना के द्वारा किसके
आदेश से किसके कहने से किस आधार पर खारिज किया गया समझ के बाहर है
जो कतई गलत होने से प्रार्थी के हितो के विपरीत होने से खारिज किये जाने / निरस्त
किये जाने / पढ़े नही जाने योग्य हैं। उक्त एआरओ को प्रार्थी के पिता के द्वारा कभी
भी किसी भी तरह का प्रार्थना पत्र अकेले उक्त खेतो की खातेदारी कमाल खां पुत्र
पन्ने खां का 1 / 2 हिस्सा मिलाकर नजीर खां की 1 / 2 हिस्सा भूमि अकेले उसके
नाम दर्ज करने का उक्त आदेश गलत है। एआरओ डीडवाना की पत्रावली पर नजीर
का न हस्ताक्षर हैं और न ही अंगुठा है। अगर उक्त पत्रावली पर अंगुठा व हस्ताक्षर
नजीर खां के अगर लगे हुए हैं तो भी वो फर्जी हैं। जिसके सम्बंध में प्रार्थी कमाल खां
व मुंशी खां के खिलाफ फौजदारी कार्यवाही अलग से करेगा। उपर वर्णित खुनखुना
के कांकड में स्थित पुराने व वर्तमान खसरा नम्बर में प्रार्थी स्वयं उसके परिवार का
उनके दादा व पिता नजीर खा का नाम राजस्व रेकर्ड 1 / 2 हिस्सा अनुसार दर्ज होने
से तथा मौके पर 1 / 2 हिस्सा भूमि पर मौखिक बंटवारा के अनुसार उनका कब्जा
उनके दादा इब्राहिम व पिता नजीर खां के जीवनकाल में उनका रहा हैं तथा वर्तमान
में कब्जा (एडवर्ज पजेशन) निर्विवाद रूप से शुरू से लेकर आज दिन तक मौके पर
कब्जा चला आ रहा होने के कारण व एआरओ डीडवाना के द्वारा जारी आदेश दिनांक
16-09-1966 (सम्वत् 2022) अवैध / शुन्य होने से खारिज किये जाने योग्य हैं तथा
वे अपने दादा इब्राहिम व पिता नजीर खां के नाम 1 / 2 हिस्सा भूमि उपरोक्त उपर
वर्णित पुराने व नये खसरा की भूमि अपने नाम खातेदारी घोषित करवाने के कानूनी
रूप से अधिकारी हैं तथा प्रार्थी एवं उसके परिवारजन व अप्रार्थीगण से कानूनी रूप से
बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के न्यायालय श्रीमान से करवाकर मुन्शी खां पुत्र
पन्ने खां का नाम राजस्व रेकर्ड में हटवाकर उसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड दुरूस्त
करवाने तथा उनके द्वारा अप्रार्थीगण की सलीम खां, बगतु खां, बिदाम, फरीद खां
रसीद खां, बाबु खां, मुन्शी खां, अलीम खां, मुनीर खां के पक्ष में किये गये बैचाण
हकतर्कनामा को भी निरस्त करवाकर उनका नाम राजस्व रेकर्ड में हटवाकर उसी
अनुरूप राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करवाने तथा प्रार्थी एवं उसके परिवारजन को
मौखिक बंटवारे के अनुसार कब्जा काश्त सुदा 1 / 2 हिस्सा भूमि उपरोक्त खसरा
नम्बरान में किसी भी प्रकार की कब्जा काश्त में दखलअन्दाजी नहीं करे, उन्हे कब्जा
से बेदखल नही कर राजस्व रेकर्ड के नाम के आधार पर उनके हिस्से की 1 / 2 भूमि
उक्त खसरा का बैचाण हस्तान्तरण जरिये ईकरारनामा, बैचाण, गिफ्ट, दान, बख्शीश,
हकतर्कनामा, गिरवीनामा, वसीयतनामा न तो भविष्य में स्वयं करे ना ही अपने
प्रतिनिधिगण से करावे। इस हेतु उन्हे जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये
जाने प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के खिलाफ उक्त प्र[illegible] बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का
पेश करना लाजमी आया है।

अतः उपरोक्त प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश [illegible] निवेदन है कि प्रार्थी / वादी
द्वारा अप्रार्थी / प्रतिवादीगण के [illegible] है कि खुनखुना के कांकड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.21 11:48:32 IST
Reason: SelfAttested

vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

में स्थित पैतृक सम्पति के खेत खसरा नम्बरान 464, 465, 500, 501, 955/464, 974/464, 492, 502, 527, 528, 529 कुल रकबा 9.41 हैक्टर खसरा नम्बर 766/264, 245, 246, 272, 273, 826/245, 845/245, 264, 641/264 भूमि जिसमें प्रार्थी/वादी स्वयं व उसके परिवार का 1/2 हिस्सा भूमि मौखिक बंटवारे के अनुसार बंट में आयी हुई है। जिस पर उनका वर्षो पुराना मौके कब्जा है. में किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी कुब्जा काश्त से महरूम नहीं करते हुए कब्जे से बेदखल नहीं करे। अन्य दीगर व्यक्तियों दिन को राजस्वे रेकर्ड में प्रार्थी/वादी का नाम नहीं होने की आड़ में बैचाण हस्तान्तरण जरिये ईकरारनामा, बैचाण, गिफ्ट, दान, बख्शीश, हकतर्कनामा, गिरवीनामा, वसीयतनामा न तो भविष्य में स्वयं करे ना ही अपने प्रतिनिधिगण से ऐसा करावे। इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा ता–फैसला वाद तक प्रार्थी/वादी के पक्ष में तथा अप्रार्थी / प्रतिवादी के खिलाफ जारी फरमावें तथा अप्रार्थी/प्रतिवादी श्रीमान तहसीलदार महोदय डीडवाना एवं उपपंजीयक डीडवाना के संमक्ष उक्त खसरा नम्बरान भूमि का किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत होने कोई बैचाणनामा, ईकरारनामा, गिरवीनामा, बख्शीशनामा, रहननामा, गिफ्ट, दान पेश होने पर उनका तस्दीक/पंजीयन नहीं करे इस हेतु भी उन्हे अलग से तहरीर जारी फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1, 2, 3, 5 ता 9, 12 की ओर से अधिवक्ता मो. अली शेरानी ने उपस्थिति दी। अप्रार्थी संख्या 3, 5 ता 9, 12 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। शेष अप्रार्थीगण बावजूद इत्तला अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब पेश कर अपने जवाब में बताया कि प्रार्थी ने एक वाद अप्रार्थीगण के विरूद्ध घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा व रेकर्ड दुरूस्ती का अवश्य पेश किया है। उक्त वाद कतई सुदृढ आधारों पर नहीं होने से खारिज होने योग्य है। उक्त वर्णित पुराने खसरा नम्बर 246, 265, 273, 290, 278/532, 278/533, 279, 281 कुल रकबा 49 बीघा 17 बिस्वा भूमि थी। एआरओ डीडवाना मीन नम्बर 3501/166 दिनांक 16–09–1966 के आज्ञा अनुसार खाता हाजा मे नजीर खां वगैरा का नाम दर्ज कर पितम्बा नम्बर 17 पर दर्ज किया व खाता खारिज किया गया। जो कि सही रुप से किया गया था तथा उक्त खेतो की खातेदारी कमाल खां पुत्र पन्ने खां का 1/2 हिस्सा मिलाकर नजीर खां की 1/2 हिस्सा भूमि अकेले उसके नाम दर्ज करने का उक्त आदेश कतई गलत नही है। स्व. नजीरखॉं के खैतायो मे से अप्रार्थी संख्या 1 कमालखॉं द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनॉंक 22–07–1963 से उनकी 1/2 हक हिस्से अधिकार की भूमि खरीद की थी। "एआरओ डीडवाना मीन नम्बर 3501/166 दिनांक 16–09–1966 के आज्ञा अनुसार" आदेश अब 55 साल बाद कतई लिमिटेशन अधिनियम के अनुसार सुनवाई योग्य नहीं है। प्रार्थी का वाद स्वतः ही म्याद बाहर होने से आदेश 07 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता [illegible] उपर वर्णित खुनखुना के कांकड में स्थित पुराने व वर्तमान खसरा [illegible] स्वयं उसके परिवार (अप्रार्थी संख्या 16 व 17) का उन[illegible] राजस्व रेकर्ड 1/2 हिस्सा अनुसार दर्ज होने [illegible] 1/2 हिस्स भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.21 11:48:32 IST
Reason: SelfAttested

vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

मौखिक बंटवारा के अनुसार उनका कब्जा उनके दादा ईब्राहिम व पिता नजीर खां के जीवनकाल में उनका रहा हैं तथा यह भी गलत है कि वर्तमान में कब्जा (एडवर्ज परमेशन) निर्विवाद रूप से शुरू से लेकर आज दिन तक मौके पर कब्जा चला आ रहा होने के कारण व यह भी गलत है कि एआरओ डीडवाना के द्वारा जारी आदेश दिनांक 16–09–1966 (सम्वत् 2022) अवैध / शुन्य होने से खारिज किये जाने योग्य हैं तथा यह भी गलत रुप से वर्णित है कि वे अपने दादा इब्राहिम व पिता नजीर खां के नाम 1/2 हिस्सा भूमि उपरोक्त उपर वर्णित पुराने व नये खसरा की भूमि अपने नाम खातेदारी घोषित करवाने के कानूनी रूप से अधिकारी हैं तथा इस पद मे यह भी गलत रुप से वर्णित है कि प्रार्थी एवं उसके परिवारजन प्रफोर्मा पक्षकार अप्रार्थी संख्या 16 व 17 व 1 ता 15 के कानूनी रूप से बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के न्यायालय श्रीमान से करवाकर मुन्शी खां पुत्र पन्ने खां का नाम राजस्व रेकर्ड में हटवाकर उसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करवाने तथा यह भी गलत रुप से वर्णित है कि उनके द्वारा अप्रार्थीगण की सलीम खां, बगतु खां, बिदाम, फरीद खां रसीद खां, बाबु खां, मुन्शी खां, अलीम खां, मुनीर खां के पक्ष में किये गये बैचाण हकतर्कनामा को भी निरस्त करवाकर उनका नाम राजस्व रेकर्ड में हटवाकर उसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करवाने तथा यह भी गलत रुप से वर्णित है कि प्रार्थी एवं उसके परिवारजन अप्रार्थी संख्या 16 व 17 (प्रफोर्मा पक्षकार) को मौखिक बंटवारे के अनुसार कब्जा काश्त सुदा 1/2 हिस्सा भूमि उपरोक्त खसरा नम्बरान में किसी भी प्रकार की कब्जा काश्त में दखलअन्दाजी नही करे, उन्हे कब्जा से बेदखल नही कर राजस्व रेकर्ड के नाम के आधार पर उनके हिस्से की 1/2 भूमि उक्त खसरा का बैचाण, हस्तान्तरण, हकतर्कनामा, गिरवीनामा, बख्शीशनामा जरिये ईकरारनामा हस्तान्तरण व बैचाण, गिफ्ट, वसीयतनामा न स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधिगण से करावे। उक्त तथ्य गलत रुप से वर्णित होने से अस्वीकार है तथा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र गलत तथ्यो पर आधारित होने से तथा लिमिटेशन अधिनियम के अनुसार कतई सुनवाई होने योग्य नही होने से विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज होने योग्य है। यह कथन अस्वीकार है कि उक्त विवादित पैतृक सम्पति के खेत वर्तमान खसरा नम्बरान 464, 465, 500, 501, 955/464, 974/464 एवं खसरा नम्बर 492, 502, 527, 528, 529 कुल रकबा 9.41 हैक्टर व खसरा नम्बर 766/264, 245, 246, 272, 273, 826/245, 845/245, 264, 641/264 जिसमें प्रार्थी / वादी एवं उसके परिवारजन का 1/2 हिस्सा भूमि मौखिक बंटवारा के अनुसार बंट में आई हुई हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थीगण ने जवाब में विशेष कथन कर बताया कि आरओ डीडवाना मीन नम्बर 3501/166 दिनांक 16–09–1966 के आज्ञा अनुसार" आदेश अब 55 साल बाद कतई लिमिटेशन अधिनियम के [illegible] सुनवाई योग्य नहीं है। प्रार्थी का वाद स्वतः ही म्याद बाहर होने से आदेश 07 नियम 11 [illegible]या संहिता के अधीन खारिज होने योग्य है। उक्त वर्णित खेता[illegible] [illegible] द्वारा अलग अलग समय में कुछ खेत खसरान [illegible] जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.07.1963 से तथा कुछ [illegible] व्यापारी से दिनांक 29.07. 1963 व कुछ खैताय स्व. रहीम खां से रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 10.12.1970 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.21 11:48:32 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

खरीदसुदा/कब्जासुदा/अधिकारसुदा है। जिनमें से कुछ खैताय अप्रार्थी संख्या 1 कमाल खां द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 मुशीखां को जरिये बख्शिशनामा दिनांक 13.05.2009 से दे दिये है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 द्वरा अप्रार्थी संख्या 3 से 15 तक को अलग-अलग समय में भूमियों का बैचाण कर देने से अलग अलग क्रेतागण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज हुआ है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष अधिवक्तागणों बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि एआरओ डीडवाना मीन नम्बर 3501/166 दिनांक 16-09-1916 के आज्ञा अनुसार खाता हाजा में नजीर खां वगैरा का नाम दर्ज कर पितम्बा नम्बर 17 पर दर्ज किया व खाता खारिज किया गया। उक्त एआरओ को प्रार्थी के पिता के द्वारा कभी भी किसी भी तरह का प्रार्थना पत्र अकेले उक्त खेतो की खातेदारी कमाल खां पुत्र पन्ने खां का 1/2 हिस्सा मिलाकर नजीर खां की 1/2 हिस्सा भूमि अकेले उसके नाम दर्ज करने का उक्त आदेश गलत है। उक्त वर्णित खुनखुना के कांकड में स्थित पुराने व वर्तमान खसरा नम्बर में प्रार्थी स्वयं उसके परिवार का उनके दादा व पिता नजीर खा का नाम राजस्व रेकर्ड 1/2 हिस्सा अनुसार दर्ज होने से तथा मौके पर 1/2 हिस्सा भूमि पर मौखिक बंटवारा के अनुसार उनका कब्जा उनके दादा इब्राहिम व पिता नजीर खां के जीवनकाल में उनका रहा हैं तथा वर्तमान में कब्जा (एडवर्ज पजेशन) निर्विवाद रूप से शुरू से लेकर आज दिन तक मौके पर कब्जा चला आ रहा होने के कारण व एआरओ डीडवाना के द्वारा जारी आदेश दिनांक 16-09-1966 (सम्वत् 2022) अवैध/शुन्य होने से खारिज किये जाने योग्य हैं तथा वे अपने दादा इब्राहिम व पिता नजीर खां के नाम 1/2 हिस्सा भूमि उपरोक्त उपर वर्णित पुराने व नये खसरा की भूमि अपने नाम खातेदारी घोषित करवाने के कानूनी रूप से अधिकारी हैं। प्रार्थी/वादी स्वयं व उसके परिवार का 1/2 हिस्सा भूमि मौखिक बंटवारे के अनुसार बंट में आयी हुई है। जिस पर उनका वर्षो पुराना मौके कब्जा है. में किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी कुब्जा काश्त से महरूम नहीं करते हुए कब्जे से बेदखल नहीं करे।

प्रतिउत्तर में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि एआरओ डीडवाना मीन नम्बर 3501/166 दिनांक 16-09-1966 के आज्ञा अनुसार खाता हाजा मे नजीर खां वगैरा का नाम दर्ज कर पितम्बा नम्बर 17 पर दर्ज किया व खाता खारिज किया गया। जो कि सही रुप से किया गया था तथा उक्त खेतो की खातेदारी कमाल खां पुत्र पन्ने खां का 1/2 हिस्सा मिलाकर नजीर खां की 1/2 हिस्सा भूमि अकेले उसके नाम दर्ज करने का उक्त आदेश कतई गलत नही है तथा प्रार्थना पत्र, उक्त आदेश के अब 55 साल बाद कतई लिमिटेशन अधिनियम के अनुसार सुनवाई योग्य नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है।

बहस पर मनन किया, रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन व बहस पर मनन करने के उपरांत प्रकरण के निस्तारण के लिए आवश्यक तीनो बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.21 11:48:32 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– सरहद खुनखुना के प्रश्नगत भूमि को पुश्तैनी व अपने बन्ट की होना कथन कर प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाह रहा है। प्रार्थी का कथन है कि भूप्रबन्ध कार्यवाही के दौरान एआरओ डीडवाना के द्वारा बिना किसी समय आदेश के राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन किया है जो कि उनके हितों के प्रति शून्य है। अप्रार्थी का प्रतिउत्तर है कि एआरओ डीडवाना ने विधि सम्मत आदेश पारित किया है जिसे लम्बे समय प्रार्थी चुनौती नहीं दे सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार प्रश्नगत भूमि प्रथम दृष्टया पुश्तैनी होना पायी जाती है। पुश्तैनी भूमि में प्रार्थी के हक अधिकार का बिन्दु तथा भूप्रबन्ध कार्यवाही के दौरान हुआ परिवर्तन प्रार्थी के हितों को प्रभावित करता है या नही? इसका मूल वाद में निर्णय होगा। भूमि पुश्तैनी होने के कारण प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी पक्ष में निर्णित किया जाता है।
2. **सुविधा का संतुलन** :– भूप्रबंध की कार्यवाही के दौरान रेकर्ड में हुये परिवर्तन को प्रार्थी चुनौती दे रहा है। प्रश्नगत भूमि पुश्तैनी रही है तथा प्रार्थी के हक अधिकारों का निर्णय वाद में तय होना है। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है।
3. **अपूरणीय क्षति** :– प्रश्नगत भूमि को मूल वाद के निर्णय तक खुर्दबुर्द, बेचाण, हस्तान्तरण किया जाता है तो निःसंदेह प्रार्थी को अपूरणीय क्षति संभावित है। अप्रार्थी पक्ष को किसी भी प्रकार की अपूरणीय क्षति होना नहीं पाया जाता है। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

उपरोक्त प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश :–

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध आदेश पारित किया जाता है कि ता–फैसला मूल वाद वे सरहद खुनखुना के खेत खसरा नम्बरान 464, 465, 500, 501, 955/464, 974/464, 492, 502, 527, 528, 529 कुल रकबा 9.41 हैक्टर खसरा नम्बर 766/264, 245, 246, 272, 273, 826/245, 845/245, 264, 641/264 की भूमि का विक्रय, हस्तान्तरण, खुर्द–बुर्द नहीं करेंगे तथा उभयपक्ष राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.21 11:48:32 IST
Reason: SelfAttested

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना